

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
लिंक न्यायालय रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)



RS. 20/-

R- 3789-III/14

राममिलन साहू तनय विश्वनाथ साहू उम्र-45 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम
कठर्रा तहसील बहरी, जिला-सीधी (म0प्र0) —————आवेदक

बनाम

1. वंशलाल
 2. जयलाल
 3. छोटेलाल
 4. अमृतलाल
 5. मंगाली
-] तनय रामलखन साहू
] तनय महेश प्रसाद साहू

सभी निवासी ग्राम कठर्रा, तहसील बहरी, जिला-सीधी (म0प्र0)

6. श्रीमान् महेश प्रसाद साहू (अनावेदकगण)

निगरानी विरुद्ध आदेश उपबन्दोबस्त अधिकारी
सीधी, जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक 92/अ-1/
1999-2000

आदेश दिनांक- 30.12.1999 जिसके द्वारा
सार्वजनिक निस्तार की मध्यप्रदेश शासन की आराजी
नम्बर पुराना 134/0.50, 174/3.00 एवं 63/
0.50 एकड़ किता 3 योग रकवा 4.00 एकड़
अनावेदकगण के नाम भूमि स्वामी अंकित कर दी
गई है, जिससे सार्वजनिक निस्तार प्रभावी हुआ
है, जिसे निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन किया
जाना चाहिये।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0मू0रा0 संहिता

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश है :-

1. यह कि आवेदक एवं अनावेदकगण ग्राम कठर्रा, तहसील

राममिलन साहू

श्री. प्रदीप कुमार
द्वारा आज दिनांक 17 X 14
प्रस्तुत किया गया।
रेडर
रॉबर्ट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3498
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 17 X 14 को प्राप्त
29-12-14
रजि. ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर .
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3789-III/14

जिला-सीधी

राममिलन साहू/ वंशलाल साहू वगैरः

(1)	(2)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री फणीस पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी(उपबन्दोवस्त अधिकारी) के प्रकरण क्रमांक 92/अ-1/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>

राममिलन साहू